

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

::- आदेश ::-

भोपाल, दिनांक 26/3/2020

फा. क्रमांक 2887-223/21-ब(दो)-स्था./2020, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री पुरुषेन्द्र कौरव, वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं।

F.No. 2887-223 /21-B(II)-estt./2020 In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 165 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Purushendra Kaurav, Senior Advocate to be Advocate General of Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his office.

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 2887-223/21-ब(दो) स्था./2020
प्रतिलिपि,

भोपाल दिनांक 26/3/2020

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. कार्यालय महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
4. कार्यालय अतिरिक्त महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
5. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
6. राज्यपाल के सचिव, म.प्र.,
7. श्री पुरुषेन्द्र कौरव, वरिष्ठ अधिवक्ता, मकान नं. 30, योजना क्रमांक-14, विजय नगर, जबलपुर, म.प्र.,
8. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल-6 की ओर सूचनार्थ तथा म. प्र. राजपत्र के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित,
9. आई.टी. प्रकोष्ठ, विधि विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु,

(गोपाल श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग